

## सार्वजनिक नोटिस

PACL लिमिटेड के निवेशकों के लिए दावा आवेदन की स्थिति/कमियों की जांच करने और बैंक खाते से संबंधित कमियों को दूर करने की सुविधा

1. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर. एम. लोढ़ा समिति PACL के निवेशकों को धन वापसी कर रही है। हालांकि, एक या अधिक कमियों के कारण कुछ आवेदनों पर कार्रवाई नहीं हो सकी।
2. समिति अब 7 मई, 2026 से उन निवेशकों/आवेदकों को अवसर प्रदान कर रही है जिनके दावा आवेदन बैंक सत्यापन में विफलता के कारण अपूर्ण पाए गए थे, ताकि वे <https://www.sebipaclrefund.co.in> पर लॉग इन करके बैंक खाते से संबंधित कमियों को दूर कर सकें।
3. उपरोक्त सुविधा निवेशकों/आवेदकों के लिए 7 मई, 2026 से 06 अगस्त, 2026 तक उपलब्ध रहेगी।

नोडल अधिकारी सह सचिव  
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर. एम. लोढ़ा समिति  
(PACL लिमिटेड के मामले में)

